

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक/स्था.एक/मिस - 645/363

दिनांक 24/06/2024


भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III - खण्ड - 4 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11/04/2023, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम, 2023 में विहित प्रावधानों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात् डॉ. ए.के. सरावगी (सेवानिवृत्त प्राध्यापक), ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को पदभार ग्रहण करने से 03 वर्ष की कलावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी प्रथमतः हो के लिए ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर का लोकपाल (Ombudsman) एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है।

2) लोकपाल के कार्यकरण भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III - खण्ड - 4 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11/04/2023, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम, 2023 में विहित प्रावधानानुसार रहेंगे।

3) शिकायतों की सुनवाई का संचालन हेतु लोकपाल को प्रति दिन प्रति बैठक के आधार पर अधिकतम रु. तीन हजार मात्र (3000/-) का भुगतान किया जावेगा और इसके अतिरिक्त लोकपाल शासन के नियमानुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगे।

4) अन्य नियम एवं शर्तें भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III - खण्ड - 4 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11/04/2023, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम, 2023 के अनुसार रहेंगी।

कुलपति जी के आदेशानुसार,



कुलसचिव

क्रमांक/स्था.एक/मिस - 645/364

दिनांक 24/06/2024

प्रतिलिपि:-

- 1) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2) सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
- 3) डी.डी.जी एजुकेशन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
- 4) अनुभाग अधिकारी, विश्वविद्यालय शाखा, राजभवन, भोपाल।
- 5) अधिष्ठाता संकाय कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
- 6) अधिष्ठाता कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी महाविद्यालय (समस्त)।
- 7) समस्त विभागाध्यक्ष कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर।
- 8) सह संचालक अनुसंधान/ प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख/आंचलिक/क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र, समस्त.....
- 9) लेखानियंत्रक, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
- 10) उप कुलसचिव (प्रशा.), ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
- 11) निज सचिव कुलपति सचिवालय/ कुलसचिव प्रकोष्ठ, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
- 12) वैबसाईट प्रभारी, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की ओर वि.वि. वैबसाईट में अपलोड करने हेतु।


कुलसचिव
